"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 67] रायपुर, शनिवार, दिनांक 3 मार्च 2007—फाल्गुन 12, शक 1928

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2007

क्रमांक 02/लो. स. उप निर्वा./स्थापना/2007/348.—भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली का पत्र क्रमांक-100/सीजी-एचपी/1/2007, दिनांक 28-2-2007 द्वारा 11-राजनांदगांव लोक सभा का उप निर्वाचन-2007 संबंधी जारी अधिसूचना एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

आलोक शुक्ला,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च, 2007—12 फाल्गुन, 1928 (शक)

अधिसूचना

सं. 100/छ. ग.-लो. स./1/2007.—यत:, छत्तीसगढ़ राज्य से लोक सभा में उस राज्य के 11-राजनांदगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित, श्री प्रदीप गांधी का स्थान अध्यक्ष लोक सभा के आदेश दिनांक 23-12-2005 द्वारा 23-12-2005 से सदस्यता समाप्ति के कारण रिक्त हो गया है; और

यत:, अध्यक्ष के उक्त आदेश को चुनौती देते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 2006 की रिट याचिका संख्या 1 तथा कुछ स्थानांतरण मामले दर्ज किए गए तथा सर्वोच्च न्यायालय ने 3 अप्रैल, 2006 को यह निदेश दिया था कि उक्त मामलों के लंबित होते हुए उन स्थानों को भरने के लिए उप निर्वाचन नहीं करवाये जा सकते हैं ; और

यत:, सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 10-1-2007 के अपने निर्णय द्वारा इन सभी मामलों को रद्द करने की घोषणा की है; और

यत:, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है ;

अत:, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उप धारा (1) तथा धाराओं 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा-

(अ) छत्तीसगढ़ राज्य में उक्त 11-राजनांदगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से वह अपेक्षा करता है कि वह 3 अप्रैल, 2007 (मंगलवार) से पूर्व तथा उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार लोक सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के संबध में-

(क)	नाम-निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	10 मार्च, 2007 (शनिवार);
(ख)	नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	12 मार्च, 2007 (सोमवार);
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	14 मार्च, 2007 (बुधवार);
(घ)	वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा	29 मार्च, 2007 (वीरवार); और
(ङ)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	3 अप्रैल, 2007 (मंगलवार)

नियत करता है; और

(ई) 7.30 बजे पूर्वान्ह से 4.30 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय, के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा.

आदेश से,

हस्ता./-
(ललित मोहन)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 3rd March, 2007—12 Phalgun, 1928 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/CG-HP/1/2007.—WHEREAS, the seat of Shri Pradeep Gandhi in the House of the People, elected from 11-Rajnandgaon Parliamentary Constituency in the State of Chhattisgarh, has become vacant on 23-12-2005, due to cessation of his membership on the order of the Speaker, Lok Sabha on 23-12-2005; and

WHEREAS, a Writ Petition No. 1 of 2006 and certain Transferred Cases were filed before the Supreme Court of India challenging the order of the Speaker, and the Supreme Court had directed on 3rd April, 2006 that the bye election to fill the said vacancy may not be held pending the above cases ; and

WHEREAS, the Supreme Court has pronounced its judgment dismissing all those cases on 10-01-2007; and

WHEREAS, a bye-election is now to be held for the purpose of filling the said vacancy;

NOW, THEREFORE, in pursuance of sub-section (1) of section 149, and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) calls upon the said 11-Rajnandgaon Parliamentary Constituency in the State of Chhattisgarh to elect, before the 03-04-2007 (Tuesday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the House of the People; and

(B) appoints, with respect to the said election-

- (a) the 10-03-2007 (Saturday), as the last date for making nominations;
- (b) the 12-03-2007 (Monday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 14-03-2007 (Wednesday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 29-03-2007 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 03-04-2007 (Tuesday), as the date before which the election shall be completed ; and

(C) fixes the hours from 7.30 A.M. to 4.30 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

Sd/-
(LALIT MOHAN)
Secretary,
Election Commission of India.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.